



Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal (M.P.)

Industrial Consultancy, Testing and Services Centre (ICTSC)

Application form for Consultancy Proposal (Type-I and Type-II)

		Department project number and date
		ICTSC project number (to be allotted by ICTSC office):
A.	Title of the project	
B.	Name and address of client	
C.	GSTN and PAN /TAN of Client	
D.	Client's Letter with number and date	(Attach copy of the letter duly signed by HoD)

Recommendations of the departmental consultancy committee <small>[To be signed by HOD of concerned department and at least two experts from the relevant field]</small>					Date of meeting:	
E.	Name(s) of the project leader and co-investigator(s) <small>(In addition to Principal Investigator, minimum one co-investigator is to be proposed)</small>	Name	Responsibility	Department		
		1.	Principal Investigator			
		2.	Co-investigator 1			
		3.	Co-investigator 2			
F.	Duration and type of project <small>(for type refer ICTSE norms)</small>	Duration: _____ Year(s) _____ Month(s) _____ Day(s)			Type-I	Type-II
G.	Type of work <small>(Write in the space provided)</small>	Design/Development/Advice/Investigation/Fabrication/ Proof Checking/Vetting/Any Other _____				
H.	Scope/description of the work					
I.	Proposed Consultancy Charges [The Demand Note / Proforma invoice should be sent to the client only after the approval from Chairperson ICTSC]	Consultancy amount (Rs.)	CGST (Rs.)	SGST (Rs.)	IGST (Rs.)	Total amount (Rs.)
		Total Amount in Words:				
J.	Proposed Contingency Expenses [Items such as Travel, Stationary, Field Work, Computer peripherals, etc.] (Not to exceed 25% of consultancy amount as provided in clause 4 of ICTS Rules)	Item				Budgeted amount (Rs.)
		1.				
		2.				
		3.				
		Total contingency expenses=				
K.	Expenses on Job Work (As per Clause 3.1 of ICTS rules, not to exceed 10% of consultancy amount)	Job work detail				Budgeted amount (Rs.)
L.	Details of external experts and the amount to be paid from disburseable amount <small>(Only if external expert is needed for the project)</small>	Name of external expert and organization				Budgeted amount (Rs.)

This is to certify that all the above details are based on thorough review of the consultancy work and the appointment of the principal investigator, co-investigator(s) and external expert(s) is based upon their specialization/expertise.

Name and signature of HOD	Name and signature of PI or Expert-1	Name and signature of Co-PI or Expert-2
The consultancy proposal is approved.		The consultancy proposal is recommended for approval.
Signature of Director/Chairperson (ICTSC)		Signature of Dean (R&C)/Secretary (ICTSC)

To: ICTS Centre for issuing the ICTSC project number. After issuing ICTSC project number return the approval to the concerned PI.

Note:

- i. As per clause 2.3 of ICTS Rules, a copy of demand note/ proforma invoice issued to client should be submitted immediately to ICTSCI.
- ii. Whenever the money from the client is received, information about the same along with the details of any TDS on income/GST must be submitted to the ICTSCI for verification and issuance of receipt voucher.

To: Concerned PI _____ through HoD _____ . Signature of I/C ICTSC



फॉर्म नंबर आर एंड सी/आईसीटीएस/01. यह एक भरने योग्य पीडीएफ फॉर्म है। जानकारी भरने के लिए एडोब पीडीएफ रीडर डीसी का उपयोग करें और फिर हस्ताक्षर के लिए प्रिंट करें।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल (म.प्र.)

औद्योगिक परामर्श, परीक्षण और सेवा केंद्र (आईसीटीएससी) परामर्श

प्रस्ताव के लिए आवेदन पत्र (टाइप-1 और टाइप-2)

		विभाग परियोजना संख्या और तिथि
		आईसीटीएससी परियोजना संख्या (आईसीटीएससी कार्यालय द्वारा आवंटित की जानी है):
क.	परियोजना का शीर्षक	
ख.	ग्राहक का नाम और पता	
ग.	ग्राहक का जीएसटीएन और पैन /टैन	
घ.	संख्या और तारीख के साथ ग्राहक का पत्र	(विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की प्रति संलग्न करें)

विभागीय परामर्श समिति की सिफारिशें					बैठक की तिथि:
[संबंधित विभाग के एचओडी और संबंधित क्षेत्र के कम से कम दो विशेषज्ञों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।]					
ड.	परियोजना के प्रधान अन्वेषक और सह-अन्वेषक (ओं) का नाम (प्रधान अन्वेषक के अलावा, कम से कम एक सह-अन्वेषक प्रस्तावित किया जाना है)	नाम	उत्तरदायित्व	विभाग	
		1.	प्रधान अन्वेषक		
		2.	सह-अन्वेषक 1		
		3.	सह-अन्वेषक 2		
च.	परियोजना की अवधि और प्रकार (प्रकार के लिए आईसीटीएससी मानदंड देखें)	अवधि: _____ वर्ष(ओं) _____ माह(ओं) _____ दिन(ओं)	टाइप-I	<input type="checkbox"/>	टाइप-II <input type="checkbox"/>
छ.	कार्य का प्रकार (दिए गए स्थान पर लिखें)	डिजाइन/ विकास/ सलाह/ जांच/ निर्माण/ पूर्ण चेंकिंग/ पुनरीक्षण/ कोई अन्य _____			
ज.	कार्य का दायरा/विवरण				
झ.	प्रस्तावित परामर्श शुल्क [डिमांड नोट/प्रोफार्मा चालान अध्यक्ष आईसीटीएससी से अनुमोदन के बाद ही ग्राहक को भेजा जाना चाहिए]	परामर्श राशि (रुपये)	सीजीएसटी (रुपये)	एसजीएसटी (रुपये)	आईजीएसटी (रुपये)
		कुल राशि (रुपये)			
ण.	प्रस्तावित आकस्मिक व्यय [यात्रा, स्टेशनरी, फ़ील्ड वर्क, कंप्यूटर बाह्य उपकरणों आदि जैसे आइटम।] (आईसीटीएससी नियमों के खंड 4 में किए गए प्रावधान के अनुसार परामर्श राशि के 25% से अधिक नहीं)	मद			बजटीय राशि (रुपये)
		1.			
		2.			
		3.			
		कुल आकस्मिक व्यय =			0
ट.	नौकरी के काम पर खर्च (आईसीटीएससी नियमों के खंड 3.1 के अनुसार, परामर्श राशि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए)	कार्य विवरण			बजटीय राशि (रुपये)
ठ.	बाहरी विशेषज्ञों का विवरण और संवितरण योग्य राशि से भुगतान की जाने वाली राशि (केवल तभी जब परियोजना के लिए बाहरी विशेषज्ञ की आवश्यकता हो)	बाहरी विशेषज्ञ और संगठन का नाम			बजटीय राशि (रुपये)

यह प्रमाणित करना है कि उपर्युक्त सभी विवरण परामर्श कार्य की गहन समीक्षा पर आधारित हैं और प्रमुख अन्वेषक, सह-अन्वेषक (ओं) और बाहरी विशेषज्ञ (ओं) की नियुक्ति उनकी विशेषज्ञता / विशेषज्ञता पर आधारित है।

विभागाध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर	पीआई या विशेषज्ञ-1 का नाम और हस्ताक्षर	सह-पीआई या विशेषज्ञ-2 का नाम और हस्ताक्षर
परामर्श प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है।	परामर्श प्रस्ताव अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया जाता है।	
निदेशक/अध्यक्ष (आईसीटीएससी) के हस्ताक्षर	डीन (आर एंड सी)/सचिव (आईसीटीएससी) के हस्ताक्षर	

प्रति: आईसीटीएससी परियोजना संख्या जारी करने के लिए आईसीटीएस केंद्र। आईसीटीएससी परियोजना संख्या जारी करने के बाद संबंधित पीआई को अनुमोदन वापस कर दें।

नोट:

- आईसीटीएससी नियमों के खंड 2.3 के अनुसार, ग्राहक को जारी किए गए डिमांड नोट/प्रोफार्मा चालान की एक प्रति आईसीटीएससीएल को तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- जब भी ग्राहक से पैसा प्राप्त होता है, तो आय/जीएसटी पर किसी भी टीडीएस के विवरण के साथ उसी के बारे में जानकारी आईसीटीएससीएल को सत्यापन और रसीद वाउचर जारी करने के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रति: संबंधित पीआई _____ विभागाध्यक्ष के माध्यम से _____ आई/सी आईसीटीएससी के हस्ताक्षर